राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)

क्रमांक : एफ 2(18)ग्रावि/अनु–8/2015 जयपुर, दिनांक :– 28.01.2019

जिला कलक्टर,
जिला समस्त, राजस्थान।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद समस्त, राजस्थान।

विषयः– जिला प्रभारियों के भ्रमण के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की योजनाओं की प्रभावी क्रियान्वयन एवं समीक्षा की दृष्टि से राज्य स्तरीय प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये गये है। राज्य स्तरीय अधिकारियों के जिला भ्रमण के दौरान निम्न कार्यवाही आवश्यक रूप से की जावें :–

1. जिला स्तर पर सभी कार्यकारी ऐजेन्सी के साथ बैठक आयोजित कर विस्तृत समीक्षा। जिसमें योजनावार, कार्यवार समीक्षा की जानी है।
2. पंचायत समिति स्तर पर भी समस्त ग्राम सेवक एवं अन्य कार्यकारी विभागों के साथ बैठक कर विस्तृत समीक्षा। जिसमें पंचायत वार योजनाओं की समीक्षा की जावे।
3. महात्मा गांधी नरेगा एवं अन्य योजनाओं में राज्य स्तर से निर्धारित प्रारूप अनुसार भी विभाग/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत की समीक्षा की जानी है जिसमें प्रगति की गति का वास्तविक आंकलन हो सके।
4. राज्य स्तरीय अधिकारीयों द्वारा दिये गये निर्देशों की कडाई से पालना की जावे।

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
5. निजी सचिव, आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भूसंरक्षण विभाग।
6. जिला प्रभारी श्री...

28/01/19

परि.निदे. एवं उप सचिव
(मो एवं मू)